न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2011

अपीलांट

रामप्रसाद पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी ताऊसर तहसील व जिला नागौर
1/1 सुरेश पुत्र रामप्रसाद
1/2 दिनेश पुत्र रामप्रसाद
1/3 सुनील पुत्र रामप्रसाद जाति तमाम मेघवाल निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. ग्राम पंचायत ताऊसर जरिये सरपंच/सचिव।
2. दानाराम पुत्र छगनाराम जाति मेघवाल निवासी ताऊसर तहसील व जिला नागौर

अपील अधीन धारा 75 राज. ले.रे. एक्ट विरूद्ध म्यूटेशन स्वीकृति आदेश ग्राम पंचायत, ताऊसर पंचायत समिति नागौर दिनांक 20.03.2005

आदेश

दिनांक :– 29/1/18

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत ग्राम पंचायत ताऊसर पंचायत समिति नागौर द्वारा ग्राम ताऊसर के नामान्तरकरण संख्या 1403 पर पारित निर्णय दिनांक 20.03.2005 के विरूद्ध पेश की है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह निवेदन किया है कि, अपीलांट के पिता हीरा के स्वामित्व कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 169 रकबा 27.04 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 10.15 बीघा कुल 37.19 बीघा वाके मौजा ताऊसर में आयी हुई है। अपीलांट के पिता का इन्तकाल दिनांक 10.08.1971 को हो जाने पर उसके स्थान पर यह भूमि अपीलांट सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम जरिये विरासत दर्ज हो गई। इस नामान्तरकरण मे अपीलांट का नाम ही सहखातेदारी के रूप में दर्ज हुआ था। लेकिन बाद में उसका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने किसी प्रहलाद नाम के व्यक्ति का नाम राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबंदी में दर्ज कर दिया और प्रहलाद की वल्दियत भी मुझे अपीलांट के पिता हीरा की दर्ज कर दी गई। जबकि हीरा के प्रहलाद नाम का कोई बेटा नही था और न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर प्रहलाद पुत्र हीरा नाम का कोई भी व्यक्ति न होने के बावजूद भी हकत्याग पत्र निष्पादित करवाकर जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1403 से रेस्पोडेन्ट ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवाकर प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से बिना कोई सुनवाई किये वंचित कर दिया। अतः हकत्याग पत्र के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण
सुनवाई किये वंचित कर दिया। अतः हकत्याग पत्र के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण निवेदन प्रार्थी ने किया है।
विधि विरूद्ध है। जिसे निरस्त करवाने का निवेदन प्रार्थी ने किया है।
3. अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताऊसर का रेकर्ड तलब कर मंगवाया गया, जो शामिल पत्रावली है।
4. जैर अपील अपीलार्थी श्री रामप्रसाद का स्वर्गवास हो जाने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया और कायम मुकामात की तरफ से अधिवक्ता श्री पीर मोहम्मद ने अपना वकालतनामा पेश कर अपील का संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

Scanned by CamScanner

रामप्रसाद बनाम ग्राम पंचायत
अपील संख्या 14/2011

5. हमने अपील पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान की सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण संख्या 1403 मौजा ताऊसर दिनांक 20.03.2005 को निर्णित किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही का रजिस्टर दिनांक 20.03.2005 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न माननीय सिविल जज (क.ख) नागौर के यहां दर्ज दीवानी मूल प्रकरण संख्या 115/2011 रामप्रसाद बनाम दानाराम के वाद पत्र एवं इस वाद के संलग्न प्रस्तुत दीवानी विविध प्रकरण संख्या 77/2011 रामप्रसाद बनाम दानाराम में माननीय सिविलि न्यायाधीश (क.ख.) नागौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2013 का भी विनम्रतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सिविल न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर अपील प्रश्नगत भूमि बाबत निष्पादित हकत्याग पत्र को शून्य घोषित कर अपीलार्थी का हिस्सा की खातेदारी घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है जो विचाराधीन है तथा आदेश दिनांक 17.09.2013 का आदेशात्मक भाग निम्नानुसार है :–

अतः प्रार्थी रामप्रसाद द्वारा अप्रार्थी दानाराम के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उभय पक्ष ता–फैसला मूल वाद यथास्थिति कायम रखे तथा किसी प्रकार का विक्रय, हस्तान्तरण नही करे।

इस प्रकार प्रकरण में माननीय न्यायालय का जैर अपील प्रश्नगत भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के ता–फैसला वाद के आदेश है। ऐसी स्थिति में अपील हाजा में कोई गुणावगुण पर निर्णय किया जाना हमारे अभिमत में माननीय सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय की अवज्ञा होगी। चूंकि विषयक नामान्तरकरण जिस आधार दस्तावेज (हकत्याग पत्र) के आधार पर भरा गया है, उस दस्तावेज को शून्य प्रभावी घोषित करने बाबत वाद विचाराधीन भी है। अतः वाद के निर्णय पर यह साबित होगा कि जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1403 का आधार दस्तावेज विधि सम्मत है या विधि विरूद्ध। राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 131 में नामान्तरकरण का कार्य क्षेत्र दिया हुआ है। इस नियम मे यथाविहित प्रावधानो के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय से प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण स्वतः ही प्रभावित हो जायेगा। फलतः हमारे अभिमत में अनावश्यक वाद बहुलता की स्थिति को रोकने के लिए इस अपील में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित प्रतीत नही होता है।

परिणामतः अपीलार्थी की यह अपील माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नागौर को निर्देशित किया जाता है कि, प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 17.09.2013 की पालना सुनिश्चित की जावे तथा जैर अपील प्रश्नगत भूमि के संबंध में निष्पादित हकत्याग पत्र को शून्य घोषित किये जाने बाबत सिविल न्यायालय के अन्तिम निर्णय अनुसार रेकर्ड में आवश्यक इन्द्राज किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

आदेश आज दिनांक 29/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

Scanned by CamScanner